



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274993
CG-DL-E-30072026-274993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4064]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 4064]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

का.आ. 4235(अ).— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तों) नियम, 2020 और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 50) की धारा 5 (1) के साथ पठित धारा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा श्री के. राजारमन, (सेवानिवृत्त) आईएएस (तमिलनाडु: 1989) को 31.07.2026 से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2020-आरई]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(FINANCIAL MARKETS DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2026

S.O. 4235(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) read with Section 6 (1) of International Financial Services Centres Authority (IFSCA) Act, 2019 (No. 50 of 2019) and the International Financial Services Centres Authority (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and Members) Rules, 2020, the Central Government hereby re-appoints Shri K. Rajaraman, (Retd.) IAS (TN: 1989) to the post of Chairperson, International Financial Services Centres Authority (IFSCA), for a period beyond 31.07.2026 till attaining the age of 65 years, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2020-RE]

DR. ALOK TIWARI, Jt. Secy.